Circular No. 319

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 17/66/20/94-PPS

Dated 22nd September, 2006

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

Directors/Heads of all National Labs./Instts.

Sub: Extension of benefit of two years earlier assessment promotion under Para 2.3.4 of Revised MANAS and Normal Assessment Scheme – clarification thereof.

Sir,

I am directed to state that as per the provisions contained in para 2.3.4 of Revised MANAS, those employees, who have acquired entry level qualification of the next higher Group, may be assessed to the next higher Grade in the same Group two years earlier than the normal prescribed period of assessment, provided they attain the prescribed threshold. The Staff Side, Joint Consultative Machinery, CSIR had raised a demand to extend the benefit of two years earlier assessment to those who joined CSIR service with entry level qualifications of the next higher group.

The matter was considered by the competent authority and it has been decided that the benefit of two years earlier assessment under para 2.3.4 of Revised MANAS cannot be extended to those incumbents who joined CSIR service with entry level qualifications of the next higher Group, as the intention behind the provision is to encourage the employees to keep pace with the new knowledge. However, it was decided that the benefit of two years earlier assessment under para 2.3.4 of Revised MANAS may be extended on acquiring higher qualifications of the next higher group relevant to the area of work of the incumbent (which may be duly certified by Head of Department/Director), provided the same is acquired after joining Council service.

Accordingly, the Governing Body, in its 167th meeting held on 21st June 2006, approved that the provisions contained in para 2.3.4 of Revised MANAS may be modified to the extent that "entry level qualifications of the next higher Group" may be replaced with "higher qualification of the next Group relevant to the area of work of incumbent, which may be duly certified by the Head of Department/Director".

Thus, in cases where a Group-II employee at the time of appointment having B.Sc. or 3 Year Diploma qualification can be extended the benefit of two years earlier assessment on acquiring M.Sc. or BE/B.Tech qualifications and a Group-III employee

contd.....

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

having M.Sc./BE/B.Tech. at the time of appointment can be extended this benefit on acquiring Ph.D., ME/M.Tech. qualifications, relevant to the area of his/her work after joining Council service, subject to the condition that this benefit of two years earlier assessment will be available only once during the entire Council service.

The above modification will be effective from the date of issue of this circular. This may be brought to the notice of all concerned in the Lab./Instt. for information, guidance and necessary action.

Yours faithfully,

25/9/06

(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:

1. Sr.COAs/COAs/AOs of all Labs./Instts.
2. Sr.Dy.FAs/Dy.FAs/Sr.F&AOs/F&AOs of all Labs./Instts.
3. Staff Officer to DG, CSIR
4. US and PPS to JS(A), CSIR
5. PS to FA, CSIR
6. CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Heads of URDIP, IPMD, HRDC, RDPD, TNBD
9. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. and CSIR Complex
10. Heads of RAB and HRDG at CSIR Complex, Pusa, New Delhi.
11. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Industrial Toxicology Research Centre, Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-1.
12. Shri A Wahid, IT Division with the request to make this circular available in the CSIR website.

परिपत्र क्रमांक....319......

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 17/66/20/94–पीपीएस Dated 22.09.2006

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 तथा सामान्य मूल्यांकन योजना के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन पदोन्नति का लाभ देना– तत्संबंधी स्पष्टीकरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 में निहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अगले उच्चतर समूह की प्रवेश स्तरीय अर्हता अर्जित कर ली है, का उसी समूह में अगले उच्चतर ग्रेड में मूल्यांकन, मूल्यांकन की सामान्य निर्धारित अवधि से दो वर्ष पूर्व किया जाए, बशर्ते उन्होंने निर्धारित प्रारम्भिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। स्टाफ साइड, ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी, सीएसआईआर ने ऐसे कर्मचारियों को, जो अगले उच्चतर समूह की प्रवेश स्तरीय अर्हताओं सहित सीएसआईआर की सेवा में आए थे, दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन का लाभ देने की मांग की थी।

सक्षम प्राधिकारी ने इस मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन का लाभ उन पदधारियों को नहीं दिया जा सकता जो अगले उच्चतर समूह की प्रवेश स्तरीय अर्हताओं सहित सीएसआईआर की सेवा में आए थे, क्योंकि इस प्रावधान का आशय कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे स्वयं को नई जानकारी से अद्यतन बनाए रखें। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन का लाभ पदधारी के कार्यक्षेत्र से संबंधित अगले उच्चतर समूह की उच्चतर अर्हताएं अर्जित करने पर दिया जाए (जिसे विभागाध्यक्ष/निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो) बशर्ते ये अर्हताएं परिषद की सेवा में आने के बाद अर्जित की गई हों।

तदनुसार, शासी निकाय ने दिनांक 21.06.2006 को हुई अपनी 167वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया कि संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 में निहित प्रावधानों को इस सीमा तक आशोधित किया जाए कि "अगले उच्चतर समूह की प्रवेश स्तरीय अर्हताओं" को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर "पदधारी के कार्यक्षेत्र से संबंधित अगले समूह की उच्चतर अर्हता, जिसे विभागाध्यक्ष/निदेशक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो रखाजाए।"

क्रमशः......

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

अत: नियुक्ति के समय बी.एससी. अथवा 3 वर्ष के डिप्लोमा की अर्हता रखने वाले समूह II के कर्मचारी को परिषद की सेवा में आने के बाद अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित एम.एससी. अथवा बी.ई./बी.टेक. की अर्हताएं अर्जित करने पर दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन लाभ दिया जा सकता है और इसी प्रकार नियुक्ति के समय एम.एससी./बी.ई./बी.टेक. की अर्हता रखने वाले समूह III के कर्मचारी को परिषद की सेवा में आने के बाद अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित पीएच.डी., एम.ई./एम.टेक. अर्हताएं अर्जित करने पर दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन का लाभ दिया जा सकता है, शर्त यह होगी कि यह दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन का यह लाभ उन्हें परिषद की सम्पूर्ण सेवा के दौरान केवल एक बार ही दिया जाएगा।

उपर्युक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। यह सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रयोगशाला/संस्थान में सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

इस अधिसूचना के हिंदी पाठ में किसी प्रकार की द्वयअर्थकता व अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

भवदीय

25/9/06

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के स्टाफ अधिकारी
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
7. प्रधान यूआरडीपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी
8. विधि सलाहकार, सीएसआईआर मुख्यालय
9. सीएसआईआर मुख्यालय तथा सीएसआईआर काम्पलैक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
10. प्रधान आरऐबी सीएसआईआर काम्पलैक्स
11. डा. आर वी मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, महात्मा गांधी मार्ग, पो. बाक्स सं.80, लखनऊ 226001
12. श्री ए वाहिद, वैज्ञानिक, आई टी डिवीजन- इस अनुरोध से कि इस परिपत्र के सीएसआईआर के वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।